

Govt neither divests nor privatises Pradhan

STATE-RUN ONGC WILL neither be divested nor privatised but only oilfields discovered by it are being monetised through a transparent bidding process to ensure estimate on how much we have and the other one is to monetise it. Disinvestment or privatisation of ONGC is not happening," Pradhan said. —PTI

L&T Finance Holdings Limited

Registered Office

Brindavan, Plot No. 177, C.S.T. Road
Kalina, Santacruz (East)
Mumbai 400 098, Maharashtra, India
CIN: L67120MH2008PLC181833

Holdings

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given, that a meeting of the Board of Directors of L&T Finance Holdings Limited is hereby convened to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone) for the quarter ended 30th June 2019.

Further, the notice of the Board Meeting is available on the website www.ltfh.com/investors.html, BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

Place: Mumbai

L&T Finance Holdings Limited
Sd/-
Apurva Rathod
Company Secretary

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur-244713, Dist. Uttam Singh Nagar, Uttarakhnad.
Phone: +91 5947 269000/269500/275320, Fax: +91 5947 275315/269535,
E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com Website: www.indiaglycols.com
CIN: L24111UR1983PLC009097

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any statutory modifications or re-enactment thereof, for the time being in force ("the Rules"), the Company, inter-alia, is required to transfer the shares for which dividend remains unpaid or unclaimed for 7 (seven) consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") in the prescribed manner.

In compliance with the said Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority during the FY 2019-20 for taking appropriate actions. Full details of such shareholders including their names, folio numbers and/or DP ID - Client ID and the number of shares due for transfer to IEPF Authority has been uploaded on Company's website www.indiaglycols.com (web-link: http://www.indiaglycols.com/investors/investor_index.htm). Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders who have not claimed their dividends for the year 2011-12 and onwards are requested to claim the unclaimed dividend on or before 5th October, 2019. In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before the above date, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, where the shares are held in physical form, proceed to issue new share certificate(s) in lieu of the Original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerializing and transfer such shares to IEPF Authority, without giving any further notice. Upon such issue, the Original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Such shareholders may also note that the details as uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s). In case the share are held in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in the concerned demat account in favour of IEPF authority.

No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. However, the concerned shareholders can claim back the unclaimed dividend(s) transferred to IEPF and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits, if any, accruing on such shares, from IEPF Authority in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules. Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in. For further information/clarification on the above matter, shareholders can write to the Company Secretary at its Head office at Plot no. 2-B, Sector-126, Noida-201304, District Gautam Budh Nagar, U.P. (e-mail: compliance.officer@indiaglycols.com) or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 (e-mail: admin@mcsregistrars.com).

For India Glycols Limited
Sd/-
Ankur Jain
Company Secretary

Place: Noida
Date : 3rd July, 2019

6.60 बगमोटर हे क
लिखित संशोधन और
का निश्चय किया है।
ते की प्रविष्ट मूल्यांकन
ण सूची में की जाये
त्ति में आपका नाम
में अंकित किया जाए
म्पत्ति का वार्षिक
कर और सफाई कर
किराया जाना प्रस्तावित
विक्रय लेखपत्र एवं
क 17.11.2018 को
के आधार पर उक्त
शामिल अधिकार का
के कारण मूल्यांकन
त श्री गोपाल कृष्ण
नी श्याम बिहारी लाल
तरित श्री सुमित बजाज
बजाज पुत्राण श्री
का नाम संयुक्त रूप
माना प्रस्तावित है।
क्त प्रस्तावित संशोधन
या मूल्य निर्धारण के
पको कोई आपात्त हो
गत तथ्यों साक्ष्य सहित
लिखित रूप में स्वयं
क्तों द्वारा इस नोटिस
दिनांक से एक माह के
भाषित को प्रेषित करें
नभाषित अवधि समाप्त
या उसके बाद संशोधन
या मूल्य निर्धारण जैसी
का अधिप्रमाणीकरण
गा।
अधिशासी अधिकारी

इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ९-1, इंडियन एज्युकेशनल सोसाइटी, कजुपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उमन सिंह नगर, उत्तराखण्ड
दूरभाष: +91 5947 263000/269500/275320; फ़ोन: +91 5947 275315/269535
ई-मेल: compliance.officer@india glycols.com वेबसाइट: www.india glycols.com
सीबीआईएन: L24111UR1983PLC009097

शेयरधारकों के लिए सूचना
नियेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईडीपीएफ) में कंपनी के इंडिटी शेयरों का अंतरण
कंपनी के शेयरधारकों को (सादरतापूर्वक सूचित किया जाता है कि) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के
प्रकरणों के साथ प्रदत्त नियेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (निष्कासन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं बचती) नियम,
2016 सहित वर्तमान में उस पर लागू कोई सहायक संशोधन या पुनः अधिनियम ("नियम") के अनुसरण में,
कंपनी को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीएफ प्राधिकरण)
में ऐसे शेयरों को अंतरित करना अनिवार्य है जिनके सम्बन्ध में निम्नलिखित (सात) या अधिक बातें लागू अवैतनिक
या अद्वयकृत हैं।

कथित नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को जचित कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत रूप से उनके नवीनतम
उपलब्ध पते पर सूचना भेज दी है जिन्के शेयर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आईडीपीएफ प्राधिकरण को
अंतरित किए जाने के पत्र हैं। शेयरधारकों का नाम, पते (घर) नं. और डीपी आईडी - बलारंट आईडी तथा
आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या के साथ ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण
कंपनी की वेबसाइट www.india glycols.com (पत्र लिंक: http://www.india glycols.com/investors/investor_index.htm) पर अपलोड किया गया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीपीएफ
प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

शेयरधारकों को जचित वर्ष 2011-12 और उसके बाद अपने निर्धारण का दायरा नहीं किया है, उनके अनुरोध है कि
वे 5 अक्टूबर, 2019 तक या उससे पूर्व अपने अद्यतनत सम्बन्ध का पता कर लें। यदि कंपनी के पास उपरोक्त
निधि एक संबन्धित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होगी तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का
पालन करते हुए ऐसे शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण को डिपॉजिट/रिजल्टेशन और अंतरित करने के प्रयोजन हेतु
नियेशक प्रणय में प्रदत्त शेयरों के मूल्यों में सूत्र शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र बिना किसी आधिकारिक
सूचना के जारी करेगी और ऐसे शेयरों के अंतरण बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जो उनके तब पर पंजीकृत हैं, स्वतः
से निरस्त हो जायेंगे और गैर-विनिम्न माने जायेंगे। शेयरधारक इस बात पर भी ध्यान दें कि कंपनी की वेबसाइट
पर अपलोड किए गए विवरणों को ही नये शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करने के संबंध में प्रामाणिक सूचना मंगाना चाहिए। यदि
संबन्धित शेयरधारक द्वारा डिपॉजिट प्रारम्भ में शेयर धारण किये गए हैं तो कंपनी आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते
में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए ऑनगैरिट प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

कथित नियमों के अनुपालन में, आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये गए शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध
कोई दावा नहीं किया जा सकता। ध्यान दें: संबंधित शेयरधारक आईडीपीएफ को अंतरित अद्यतनत सम्बन्ध (त्रों) और
आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में निर्धारित
प्रक्रिया का पालन और नियमों के अनुसार निर्धारित दरतासेज जमा करने के, बाद आईडीपीएफ प्राधिकरण के पास
अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक www.mca.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विवरणों का भी अवलोकन
कर सकते हैं। उपरोक्त विषय में जाने किसी भी सुरुवात/संबन्धितकरण के लिए शेयरधारक कंपनी के
प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 2-बी, सैक्टर-126, नोएडा-201301, जिला गैरम बुट नगर, उत्तर प्रदेश
(ई-मेल: compliance.officer@india glycols.com) में कंपनी सचिव को या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर
प्रॉक्सर एजेंट, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसकर एजेंट लिमिटेड, एच-65, प्रधान नगर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फ़ोन-1, नई दिल्ली-110020 (ई-मेल: admin@mcsregistrars.com) को लिख सकते हैं।

कृते इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड
हस्ता: /-
अंशुर जैन
कंपनी सचिव

स्थान: नोएडा
दिनांक: 3 जुलाई, 2019

में वाहन
हुआ है।
बाजारों व
आर
कहा कि
आग ल
सार्वजन
न्योकि
शामिल
के 14 स
क्रोमा
पेस्कोव
तारह सा
सकता
गोपनीय
में समुद्री
14 नाव
इस हाद
दी गयी।
ब्लादिमी
जानकारी
कहा, य
कि इस प्र

86
ने म

**र्यालय-निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल दुग्ध
सहकारी संघ लि. लालकुआं (नैनीताल)**

173/निर्वा.प्र. कमेटी-दुग्ध संघ/2019-20 दिनांक: 03 जुलाई, 2019

सूचना

निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के आदेश सी-172/दुग्ध संघ-नैनीताल/निर्वाचन/2019-20
जुलाई 2019 के परिपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 सहपठित
2004 के नियम संख्या-451 के अन्तर्गत नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. लालकुआं
के प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन क्षेत्र 05 (शमगढ़ सामान्य) से रिक्त सदस्य पद के निर्वाचन
07.2019 को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. लालकुआं स्थित प्रधान कार्यालय में

गांधी
मुख्यमंत्र
विधानस
में पिछले
और 35
लोगों ने
रोख्य सर
राज्य
प्रभार सं
लिखित
में से 68
गई है।
बजट स

कए
जद
सर
निदे
जाए
जाय
शेप्र
शेपी
शेपी
कार्य
विलि
विश्व
गगज
दित
शम्भ
दिए।
नो
आय
स्थल
शिक्षा
तब
अप
करने
हल्का
संघ के प्र
अपर शिक्ष
पुलाकात
स्थानान्तर
अवगत क
जनपद नै
में कई शि
भाजप